अध्याय–II

74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

2.1 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ राज्य स्तरीय विधानों की तुलना

74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 243क्यू से 243जेडजी के तहत नगर पालिकाओं से संबंधित कुछ प्रावधानों को प्रस्तावितकिया। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम/छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम और छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 में संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप विद्यमान प्रावधान नीचे **तालिका 2.1** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.1: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के साथ राज्य स्तरीय विधानों की तुलना

भारत के संविधान का प्रावधान	भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार आवश्यकता	राज्य अधिनियम/अधिनियमों का प्रावधान
अनुच्छेद 243क्यू	**नगर पालिकाओं का गठन:** यह तीन प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान करता है, अर्थात् परिवर्तित क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत, एक छोटे शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर पालिका परिषद और एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर पालिक निगम।	छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 7
अनुच्छेद 243आर	**नगर पालिकाओं की संरचना:** नगर पालिका में सभी सीटों को सीधे चुनाव द्वारा और सरकार द्वारा नामित नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों द्वारा भी भरा जाएगा। एक राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, नगर पालिका, संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों, जिनके निर्वाचन क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित हैं, और राज्य एवं राज्य विधान परिषद के सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है, जो शहर में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं।	छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 9
अनुच्छेद 243एस	**वार्ड समिति का गठन और संरचना:** यह 3 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले सभी नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान करता है।	छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 (क) छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 72 (क)
अनुच्छेद 243टी	**सीटों का आरक्षण:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए सीधे चुनाव के लिए आरक्षित सीटें।	छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29 (क) छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 11 (क)
अनुच्छेद 243यू	**नगर पालिकाओं की अवधि:** नगरपालिका की पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होता है और कार्यकाल समाप्त होने के छः महीने के भीतर फिर से चुनाव किया जाना होता है।	छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 36 छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 20
अनुच्छेद 243व्ही	**सदस्यता के लिए निरर्हताएं:** एक व्यक्ति को नगर पालिका के सदस्य होने से अयोग्य घोषित किया जाएगा: • यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के	छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 35 छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 17

	चुनावों के प्रयोजनों के लिए उस समय लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत इस प्रकार अयोग्य है, और • यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया जाता है।	
अनुच्छेद 243डब्लू	**नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां:** सभी नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियों के साथ सशक्त किया जाएगा जो उन्हें स्वशासन के प्रभावी संस्थानों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकती हैं। राज्य सरकार उन्हें ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार सौंपेगी जिससे वे 12वीं अनुसूची के संबंध में उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में समर्थ हो सकें।	छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 124 छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 69
अनुच्छेद 243एक्स	**नगर पालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति और उनका निधिकरण :** • नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, आदि लगाने और एकत्र करने का अधिकार होगा। • राज्य की ओर से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान दिया जाएगा। • नगर पालिका द्वारा धन जमा करने और निकालने के लिए निधियों का गठन।	छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 129 छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 133
अनुच्छेद 243आई के साथ पठित अनुच्छेद 243वाई	**वित्त आयोग:** राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगी: • नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और ऐसे कदम उठाना जिससे नगर निकायों की वित्तीय स्थिति को बढ़ाने में मदद मिले। • राज्य और नगर पालिकाओं के बीच करों, शुल्कों, टोलों और शुल्कों की शुद्ध आय का वितरण करना जो राज्य सरकार द्वारा वसूल किया जाता है। • राज्य की संचित निधि से राज्य केशहरी स्थानीय निकायों को निधियों का आवंटन।	छत्तीसगढ़ वित्त आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 3
अनुच्छेद 243जेड	**नगर पालिकाओं के खातों की लेखापरीक्षा:** यह नगर पालिकाओं द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के लिए प्रावधान प्रदान करता है।	छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 121 छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 125 से 131
अनुच्छेद 243के के साथ पठित अनुच्छेद 243जेडए	**नगर पालिकाओं का चुनाव:** नगर पालिकाओं के चुनाव की सभी प्रक्रियाओं की देख–रेख, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा।	छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14
अनुच्छेद 243जेडडी	**जिला योजना के लिए समिति:** • जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन।	छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 3

	• जिला योजना समिति की संरचना। • विकास योजना का मसौदा तैयार करना और सरकार को अग्रेषित करना।	
भारत के संविधान का अनुच्छेद 243जेडई	**महानगर योजना समितिः** 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले हर महानगर में महानगर योजना समितिके गठन का प्रावधान।	राज्य शासन द्वारा प्रावधान नहीं किया गया

(स्त्रोतः छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम/छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995)

जैसा कि ऊपर **तालिका 2.1** में देखा गया है कि महानगर योजना के लिए समिति के गठन को छोड़कर, राज्य अधिनियमों/नियमों ने राज्य अधिनियमों/नियमों में कोडल प्रावधानों को शामिल करने के संबंध में 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम में परिकल्पित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। हालांकि कानून द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन जमीनी स्तर पर प्रभावी विकेंद्रीकरण का आ"वासन नहीं देता है जब तक कि प्रभावी कार्यान्वयन का पालन नहीं किया जाता है। हमने देखा कि कानूनी प्रावधानों को निर्णायक कार्यवाइयों द्वारा समर्थित नहीं किया गया जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की भावना के विरुद्ध है। ये कमी शहरी स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के लिए संस्थागत तंत्र, शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय शक्तियों के हस्तांतरण, मानव बल प्रबंधन आदि से संबंधित हैं, जैसा कि बाद के अध्यायों में चर्चा की गई है।

2.2 शहरी स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार की शक्तियाँ

हमने देखा कि राज्य सरकार के पास शहरी स्थानीय निकायों पर अधिभावी शक्तियाँ थीं जो कि संविधान संशोधन की भावना के विरुद्ध थी। कुछ प्रावधान नीचे **तालिका 2.2** में दर्शाए गए हैं:

तालिका 2.2: शहरी स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार की अधिभावी शक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

सरल क्रमांक	विषय	प्रावधान
1	नियम बनाने की शक्ति	राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य विधानमंडल (छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 433 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम की धारा 355) के अनुमोदन के बाद छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम/छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम के लिए नियम बना सकती है।
2	शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लिए गए किसी संकल्प या निर्णय को रद्द करने और निलंबित करने की शक्ति	राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लिए गए प्रस्ताव या निर्णय को रद्द कर सकती है, यदि राज्य सरकार की राय है कि यह कानूनी रूप से पारित नहीं है या छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, किसी अन्य कानून या संभावित रूप से प्रदत्त शक्ति से अधिक है। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन में शांति भंग करने या जनता या किसी वर्ग या निकाय या व्यक्तियों को चोट या परेशानी पैदा करने के लिए या सरकार द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन में नगर निधि की बर्बादी या क्षति होने की संभावना है (छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 421और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम की धारा 323)।
3	शहरी स्थानीय निकायों को भंग करने की शक्ति	राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को भंग कर देगी यदि शहरी स्थानीय निकाय उचित अवसर देने के बाद उन पर लगाए गए किसी भी कर्तव्य के प्रदर्शन में विफल रहती है।या चूक करते हैं। राज्य सरकार शहरी स्थानीय निकायों के विघटन की अवधि के दौरान प्रशासकों की नियुक्ति कर सकती है (छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 422 और 423 तथा छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम की धारा 328)।
4	सरकार द्वारा कानूनों की स्वीकृति	छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 427 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम की धारा 355 शहरी स्थानीय निकायों को उप–नियम बनाने

सरल क्रमांक	विषय	प्रावधान
		का अधिकार देती है। हालांकि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए उप–कानून तब तक मान्य नहीं हैं जब तक कि सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती (छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 430 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम की धारा 357)।
5	अधिशेष निधि जमा करने और निवेश करने की स्वीकृति	छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम की धारा 108(3) नगरपालिका परिषद को अधिशेष राशि जमा करने और निवेश करने की अनुमति देती है, लेकिन केवल सरकार से पूर्व मंजूरी के बाद।
6	पैसे उधार लेने की मंजूरी	छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 102 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम की धारा 115 नगर निगमों और नगर परिषद को धन उधार लेने की अनुमति देती है, लेकिन केवल सरकार से पूर्व मंजूरी के बाद।
7	संपत्ति का पट्टा/बिक्री	छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 80 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम की 109 नगरपालिका परिषदों और नगर निगमों को अपनी चल और अचल संपत्ति को पट्टे पर देने या बेचने की अनुमति देती है, लेकिन कुछ प्रतिबंधों और सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ।
8	आरक्षित निधि से निकासी	शासन के निर्देशानुसार (अप्रैल 2016) शहरी स्थानीय निकायों की आय का पांच प्रतिशत आरक्षित निधि में जमा किया जाना चाहिए, लेकिन इससे निकासी के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

राज्य सरकार की अधिभावी शक्तियां लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती हैं और राज्य के जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की शुरुआत के लिए एक संस्थागत ढांचे के निर्माण में देरी करती है।